न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0 — 84 / 2021
प्रविष्टि दिनांक — 14.09.2021
निर्णय दिनांक — 27.10.2021

उनवान

रामस्वरूप पुत्र नन्दराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मण्डावर, तहसील व जिला टोंक राज0
— वादी

बनाम

1. रामबाबू पुत्र बद्री जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार टोंक तहसील व जिला टोंक राज0
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक

— प्रतिवादी

उपस्थित— श्री सेताराम चौधरी — वकील वादीगण
श्री भगवान जाट — वकील प्रतिवादी सं. 1

निर्णय
वादपत्र बाबत— घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती ईन्द्राज

संक्षेप्त में वादपत्र वादी इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 903 रकबा 4 बीघा 7 बीस्वा वाके ग्राम मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज0 में स्थित है, जो वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी तथा वर्तमान समय में टोंक तहसील में रकबा है0 में कर दिये जाने से उक्त खसरा नं0 903 ıकबस 1.1002 वाके ग्राम मण्डावर है। वादी ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी में से 2 बीघा भूमि बिलएवज 22,000/— रूपये में प्रतिवाद संख्या 1 को जो पूर्वी दिशा की तरफ थी, दिनांक 02.08.1997 को विक्रय की तथा उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन उप—पंजीयक टोंक के कार्यालय में दिनांक 02.08.1997 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 241 कम संख्या 931 पृष्ठ संख्या 311 से 312 पर किया गया। उक्त विक्रय पत्र की पालना में राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरण संख्या 1496 वाके ग्राम मण्डावर भरा गया जिसके कॉलम संख्या 14 में वादी द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय पत्र का वर्णन है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों से सांठ गांठ करके उक्त विक्रय पत्र की आड में वादी की सम्पूर्ण आराजी खसरा नं0 903 जो 4 बिघा 7 बिस्वा का था , को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगा लिया, जबकि विक्रय पत्र दिनांक 02.08.1997 में स्पष्ट वर्णित है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नंम्बर 903 में से 2 बिघा 7 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। स्थापित विधि है कि नामान्तरण एक सरसरी व संक्षिप्त प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति के अधिकार संर्जित या विलोपित नहीं होते है तथा नामान्तरण का मुख्य उद्देश्य लगान का निर्धारण करना है, ना कि अधिकारों का सर्जन करना। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 903 में केवल 2 बिघा भूमि विक्रय की गई थी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने चालाकी पूर्व सम्पूर्ण आराजी

सहायक कलेक्टर
मुख्यालय टोंक

खसरा नम्बर 903 वाके ग्राम मण्डावर को अपने नाम लगा लिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है, जबकि शेष रही 2 बिघा 7 बिस्वा भूमि आज भी वादी के कब्जे काश्त में निरन्तर व निर्बाद रूप से चली आ रही है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नं 1 डिक्री किया जाकर वादी को भूमि आराजी खसरा नम्बर 903 रकबा 1.1002 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावर पटवार हल्का मण्डावर, तहसील व जिला टोंक में 2 बीघा 7 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार एंव काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। वादी ने अपने दावे में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये दस्तावेजात–विक्रयपत्र दिनांक 02.08.1997 व जमाबन्दी, नामांतकरण संख्या–1496 ग्राम मण्डावर आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील इकबालिया जवाब पेश कर वादी का दावा स्वीकार कर वादी के हक में डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 02.08.1997 वादी ने अपनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 903 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा में से मात्र 2 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या–1 को विधिवत रूप से विक्रय की थी, किन्तु सहवन से सम्पूर्ण भूमि का नामांतकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम खोल दिया गया जिससे सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में अंकित हो गयी। जिसे वापस वादी के नाम अंकित करवाने के लिए प्रतिवादी सं. 1 भी सहमत है। इस प्रकार उक्त त्रुटि सहवन से हुयी है जो दुरूस्ती योग्य है। अतः उक्त तथ्यों के अनुरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 903 रकबा 1.1002 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावर पटवार हल्का मण्डावर, तहसील व जिला टोंक में 2 बीघा 7 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार एंव काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 903 रकबा 1.1002 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावर पटवार हल्का मण्डावर, तहसील व जिला टोंक में से रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार एंव काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 27/10/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शिप्रा जैन)

<u>डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई</u>

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलेक्टर मु0 टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **शिप्रा जैन आर ए एस द्वारा अध्याशित**

उनवान

रामस्वरूप पुत्र नन्दराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मण्डावर, तहसील व जिला टोंक राज0

– वादी

बनाम

1. रामबाबू पुत्र बद्री जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार टोंक तहसील व जिला टोंक राज0
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक

– प्रतिवादी

उपस्थित– श्री सेत▮राम चौधरी – वकील वादीगण
श्री भगवान जाट – वकील प्रतिवादी सं. 1

वादपत्र बाबत– घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती ईन्द्राज

दावा नं0 84/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **सहायक कलेक्टर मु0 टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी जाती है कि

वादी का वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 903 रकबा 1.1002 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावर पटवार हल्का मण्डावर, तहसील व जिला टोंक में से रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार एंव काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ति करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 31/10/2021 को जारी किया गया।

(शिप्रा जैन)
सहायक कलेक्टर मु0 टोंक

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोट–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।